प्रसार भारती /Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)/(India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG:Doordarshan
दूरदर्शन भवन/Doordarshan Bhawan
कॉपरनिकस मार्ग/ Copernicus Marg
नई दिल्ली-110001/ New Delhi-110001

फा. सं. 904/51/2016-17-एपीआईओ/आरटीआई/दिशानिर्देश/ **दिनांक : 16.09.2016**

कार्यालय ज्ञापन

यह पाया गया है कि अधिकांश अधिकारी आरटीआई पावतियां/सूचनार्थ प्रति आरटीआई सैल को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2 रुपए की छोटी सी राशि दस्तावेज शुल्क के रूप में आरटीआई आवेदकों से जमा कराने पर जोर दे रहे है ! इस प्रकार 2 रुपए जमा कराने की सूचना देने में कार्यालय को 30 रुपए या उससे अधिक अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है, अत: ऐसी स्थिति से बचे जाने की आवश्यकता है ।

2. महानिदेशक, दूरदर्शन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरटीआई मामलों का निपटान करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को निम्नवत अपनाने की सलाह दी है :-

क. कि वे चार-पांच पृष्ठों से कम की सूचना उपलब्ध कराने के मामले में 10 रुपए अतिरिक्त फीस जमा कराने के लिए आवेदक पर जोर नहीं डालेंगे । इससे दो बार सूचना उपलब्ध कराने में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट प्रभारों में वहन की जा रही राशि में कमी आएगी ।

ख. उसी केंद्र की आरटीआई आवतियों संबंधित सूचना स्पीड पोस्ट के बजाए साधारण डाक से भेजी जा सकती हैं तथापि प्रेषण पंजिका का रख-रखाव उपयुक्त रूप से की जाने की आवश्यकता है ।

ग. दूरदर्शन के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों को सूचना भेजने हेतु इलेक्ट्रानिक साधनों जैसे - ई-मेल, फैक्स आदि के इष्टतम उपयोग को अपनाने को प्राथमिकता दें । इससे न केवल स्पीड पोस्ट व्यय में कमी आएगी अपितु तेजी से सूचना प्राप्त करने में भी सुविधा होगी ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी, महानिदेशक दूरदर्शन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(दिलीप कुमार भट)
उपनिदेशक (प्रशा.) एवं आरटीआई

सेवा में,

1. **सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारीगण/एफएए, दूरदर्शन महानिदेशालय, दूरदर्शन केंद्रों, दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों, उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों, जोनों, विपणन प्रभागों, समाचार केंद्रों आदि ।**
2. **सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग कृपया इसे डीडी इंडिया के आरटीआई बेव पेज पर अपलोड करें ।**